अनुबंध-I

[20 जून 2014 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज परिपत्र सं.148]

करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2014
10 जून 2014 की अधिसूचना सं.एफईडी.1/ईडी(जीपी)-2014

भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में यह आवश्यक समझकर और देश की वित्तीय प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करेंसी फ्यूचर्स के सौदे (डीलिंग्स) करने वाले सभी व्यक्तियों को निम्नलिखित निदेश देता है।

1. निदेशों का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

इन निदेशों को करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2014 कहा जाएगा और वे 10 जून 2014 से लागू होंगे।

2. करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 में संशोधन

(i) पैरा 3 में, उप-पैरा (ii) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2(v) में यथा परिभाषित भारत में निवासी कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा दर जोखिम संबंधी एक्स्पोज़र को हेज करने अथवा अन्यथा के लिए करेंसी फ्यूचर्स की खरीद अथवा बिक्री कर सकता है।"

(ii) पैरा 3 में, उप-पैरा (ii) के बाद, निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात:

"(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 (डब्ल्यू) में यथा परिभाषित भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जो, समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 {3 मई 2000 की अधिसूचना सं॰फेमा.20/2000-आरबी (3 मई 2000 का जीएसआर सं.406 (ई)} की अनुसूची 2, 5, 7 और 8 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र है, वह विदेशी मुद्रा दर जोखिम संबंधी एक्स्पोज़र को हेज अथवा अन्यथा के लिए करेंसी फ्यूचर्स की खरीद अथवा बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत कर सकता है।"

(i) पैरा 5 में, उप-पैरा (i) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(i) इन निदेशों के पैरा 3(ii) और 3(iii) में उल्लिखित से भिन्न कोई व्यक्ति करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में भाग नहीं लेगा।"

(जी. पद्मनाभन)
कार्यपालक निदेशक

अनुबंध-II

[20 जून 2014 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज परिपत्र सं.148]

एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2014
10 जून 2014 की अधिसूचना सं.एफईडी.2/ईडी(जीपी)-2014

भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में यह आवश्यक समझकर और देश की वित्तीय प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस के सौदे (डीलिंग्स) करने वाले सभी व्यक्तियों को निम्नलिखित निदेश देता है।

1. निदेशों का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

इन निदेशों को एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2014 कहा जाएगा और वे 10 जून 2014 से लागू होंगे।

2. एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010 में संशोधन

(ii) पैरा 3 में, उप-पैरा (ii) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2(v) में यथा परिभाषित भारत में निवासी कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा दर जोखिम संबंधी एक्स्पोज़र को हेज करने अथवा अन्यथा के लिए एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस की खरीद अथवा बिक्री कर सकता है।"

(iii) पैरा 3 में, उप-पैरा (ii) के बाद, निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात:

"(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 (डब्ल्यू) में यथा परिभाषित भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जो, समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 {3 मई 2000 की अधिसूचना सं॰फेमा.20/2000-आरबी (3 मई 2000 का जीएसआर सं.406 (ई)} की अनुसूची 2, 5, 7 और 8 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र है, वह विदेशी मुद्रा दर जोखिम संबंधी एक्स्पोज़र को हेज अथवा अन्यथा के लिए एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस की खरीद अथवा बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत कर सकता है।"

(iv) पैरा 5 में, उप-पैरा (i) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(i) इन निदेशों के पैरा 3 के उप-पैरा (ii) और (iii) में उल्लिखित से भिन्न कोई व्यक्ति एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शंस मार्केट में भाग नहीं लेगा।"

(जी. पद्मनाभन)
कार्यपालक निदेशक